



Neutral Citation No. - 2026:AHC:127298

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत याचिका संख्या - 20464/2026

चंद्रपाल

..... आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : राघवेन्द्र प्रकाश, वरिष्ठ अधिवक्ता

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गौरव कक्कड़, जिनकी सहायता विद्वान अधिवक्ता श्री राघवेन्द्र प्रकाश ने की, तथा उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. आवेदक ने पुलिस स्टेशन लिंकरोड, जिला गाजियाबाद के वाद अपराध संख्या 317/2025, धारा 140(1), 103(1), 238, 61(2) बीएनएस के अंतर्गत जमानत पर रिहाई के लिए यह तत्काल जमानत याचिका दायर किया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। कथित अपराध से उसका कोई सरोकार नहीं है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि, अभियोजन पक्ष के अनुसार, मृतक 24.09.2025 से लापता था, और उसकी पत्नी पूजा द्वारा 02.10.2025 को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। तत्पश्चात, 08.10.2025 को मृतक का कंकाल, उसके कपड़ों और मोटरसाइकिल के साथ बरामद किया गया। मृतक का शव मिलने के बाद ही प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का आगे यह तर्क है कि मुख्य आरोप सह-अभियुक्त पूजा और आशीष पर लगाए गए हैं, जिन पर अवैध संबंध में शामिल होने



का आरोप है। पूरा प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है, और परिस्थितियों की श्रृंखला अधूरी है और निर्णायक रूप से आवेदक के अपराध की ओर इशारा नहीं करती है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक का कथित अपराध करने का कोई उद्देश्य नहीं था। आवेदक से पेपर कटर की कथित बरामदगी मिथ्या है और इसे एक खुले और सुलभ स्थान से दिखाया गया है। इसके अलावा, उक्त बरामदगी किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा समर्थित नहीं है। यह तर्क भी दिया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में हुई देरी को प्रथम सूचनादाता द्वारा संतोषजनक ढंग से स्पष्ट नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, रिकॉर्ड पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि मृतक को अंतिम बार आवेदक के साथ देखा गया हो, न ही कोई न्यायिक-पूर्व स्वीकारोक्ति है, और न ही कोई अन्य दोषारोपण सामग्री है जो आवेदक को कथित अपराध के कारित करने से जोड़ती हो। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि समान स्थिति वाली सह-अभियुक्त, पूजा को इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा आपराधिक विविध जमानत याचिका संख्या 12271/2026 में दिनांक 10.4.2026 के आदेश के माध्यम से जमानत दी गई है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 24.12.2025 से कारावास में है।

4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत याचिका का विरोध किया, हालाँकि, वे इस तथ्य से इनकार नहीं कर सके कि इसी तरह की स्थिति वाली सह-अभियुक्त, पूजा को इस न्यायालय की एक अन्य पीठ द्वारा जमानत दी जा चुकी है।

5. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा की गई तर्कों पर विचार किया है और रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री का अवलोकन किया है।

6. प्रकरण के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि समान स्थिति वाली सह-अभियुक्त, पूजा को इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा जमानत दी जा चुकी है और उक्त आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज या स्थगित नहीं किया गया है, तथा आवेदक 24.12.2025 से कारावास में बंद है, मैं आवेदक को जमानत पर रिहा करना उचित समझता हूँ।

7. जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।



8. आवेदक- **चंद्रपाल**, जो उक्त प्रकरण में शामिल है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत मुचलका और उतनी ही राशि के दो जमानतदार पेश करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन है। इसके अलावा, रिहाई का आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक को एक वचनपत्र दाखिल करना होगा कि जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य के लिए नियत तिथि पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त के उल्लंघन के प्रकरण में, विचारण न्यायालय के लिए इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानना और विधि के अनुसार आदेश पारित के लिए स्वतंत्र होगा।

(ii) आवेदक को निर्धारित प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना होगा। पर्याप्त कारण के बिना अनुपस्थित रहने की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसके खिलाफ धारा 229-A भा0द0सं0/ 269 बी.एन.एस. के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है।

(iii) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 द0प्र0सं0/ 84 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जा सकती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके खिलाफ विधि के अनुसार धारा 174-A भा0द0सं0/ 209 बीएनएस के अंतर्गत कार्यवाही शुरू करेगा।

(iv) आवेदक को (1) प्रकरण के खुलने, (2) आरोप तय करने और (3) धारा 313 द0प्र0सं0 के अंतर्गत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तारीखों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना होगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानना और विधि के अनुसार उसके खिलाफ कार्यवाही करना खुला होगा।

9. यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होता है, तो यह जमानत खारिज करने का आधार बनेगा।



10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को ज़मानत प्रदान करते समय की गई टिप्पणियाँ, गवाहों के बयानों के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विद्वान विचारण जज को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेंगी।

15 जून, 2026

फ़हद

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

Translated Version. Not for Legal Use.